

बिहारीगंज - 30/7/2024

04/2026 अमिलेख आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया
गया।

अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह बेल
सूचिका गुड़ी के लिखित आवेदन के आधार
पर अलग दफ्तर के विरुद्ध B.N.S. की धारा-
281/106(1) के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता
द्वारा अंतिम प्रतिवेदन B.N.S. की धारा-281/106(1)
के तहत समर्पित किया गया है।

अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने के बिन्दु
पर अभिलेखन पत्र को सुना तथा अमिलेख का
अवलोकन किया गया। विदित होता है कि अनुसंधानकर्ता
ने अलग दफ्तर के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन
सत्य-सूत्रीय समर्पित किए हैं। विद्वान अभिलेखन
पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि कोर्ट में
अनुसंधानकर्ता द्वारा सही दिशा में अनुसंधान किया
गया है। संपूर्ण कोर्ट प्रक्रिया में वाद की अग्रतः
वारदात हेतु कोई आधार/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
सूचक को लेखी गिना किया जा चुका है और बाकी सूचक उपलब्ध नहीं
हैं। अतः तब यह परिस्थिति के आलोक में
अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन को
स्वीकार किया जाता है तथा वाद की अग्रतः वारदात
समाप्त की जाती है। बकौल अमिलेख को
अगले आवेदन तक विनिरत नहीं किए जाने
के निर्देश के साथ निष्क्रान्त अमिलेखान्त में
जमा करें।

लिखित
अनु. नं. 4